

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक :

110

प्रकरण दर्ज दिनांक

अनावेदक : *श्री जेकर - समृद्धि एवेन्यू*

CGRERA-P.: M-Com-2019-00359

आदेश कार्यवाही की
तारीख व स्थान

आदेश अथवा कार्यवाही

पक्षकार अथवा प्रतिनिधि
के हस्ताक्षर

05/06/2019

विषयांगत लेख है कि आपका रियल एस्टेट प्रोजेक्ट **समृद्धि एवेन्यू** छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीयन नंबर **PCGRERA050618000048** के रूप में दिनांक **05.06.2018** से पंजीकृत है। भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 11 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सभी प्रमोटर्स को उनके प्रत्येक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की त्रैमासिक प्रगति रेरा के वेबपोर्टल पर अद्यतन करना अनिवार्य है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक-17/रेरा/2018/562, दिनांक 28.09.2018 एवं क्रमांक-22/रेरा/2018/676, दिनांक 03.11.2018 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे। जो प्राधिकरण की वेबसाइट पर सहज उपलब्ध हैं।

प्राधिकरण द्वारा समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के उक्त प्रावधानों तथा प्राधिकरण के निर्देशों की अवहेलना करते हुए अपने ऊपर वर्णित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अब तक अद्यतन नहीं की गई है।

— प्रकरण दर्ज हो।

— अनावेदक को अधिनियम की धारा 61 के अंतर्गत कार्यवाही के संबंध में नोटिस जारी किया जावे।

मा.दि.- 25 / 04 / 2019

Gues

(विवेक ढाँड)

अध्यक्ष

25/4/19

1) Case taken today - Resp present.
2) Resp has updated uptill Dec, 2018.
3) Case be therefore closed & sent to the record room.

[Handwritten Signature]



Gues

अध्यक्ष

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
रायपुर